Sunita Daga, RAS
REGISTRAR

OFFICE OF THE REGISTRAR
AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA

BORKHERA, BARAN ROAD, KOTA 324001 (RAJ.)
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
बोरखेड़ा, बांरा रोड, कोटा 324001 (राज.)

Tel : 0744-2321205
Fax : 0744-2321205
Email:registrar@aukota.org

No.F.2( )/AU/Kota/Gen./2024/ 16561-64 **Date:** 23/02/2024

To,
The Principal
Sahid Captain Ripudaman Singh Govt. College,
Sawai Madhopur

Sub: - Closure of B.Sc. (Hons) Ag. Degree Programme-reg.
Ref: - Sr. No. RMSWM/ESTD/2023-24/2069 Dated 21.02.2024.

Sir,

In reference to the above cited subject, it is informed that as per order of the Higher Education (Gr.III) Department, Govt. of Rajasthan, vide order no. F.6(14)/Edu.Gr.-III/2022 Dated 24.08.2022, the admission in Sahid Captain Ripudaman Singh Govt. College, Sawai Madhopur for the B.Sc. (Hons) Ag. Degree Programme 1st year was closed since Academic Session 2022-23. However, the 2nd year, 3rd year and 4th year were continued during the Academic Session 2022-23. Further, the faculty of agriculture will close step by step in the SCRS Govt. College, Sawai Madhopur.

REGISTRAR

Copy to information:-

1. PS to Hon'ble Vice-Chancellor, Agriculture University, Kota.
2. COE, Agriculture University, Kota.
3. Guard file.

REGISTRAR

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(14)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2022 जयपुर, दिनांक: 24.08.2022

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज.,
जयपुर।

विषयः– शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में संचालित कृषि संकाय की वस्तुस्थिति के दृष्टिगत एवं प्रकरण को विशेष परिस्थिति मानते हुए स्वीकृति बाबत।

संदर्भः– आपका एम.आर. संख्या–851 दिनांक 16.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि विभागीय पत्रावली में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में संचालित कृषि संकाय की वस्तुस्थिति के दृष्टिगत एवं प्रकरण को विशेष परिस्थिति मानते हुए निम्नानुसार स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :–

1. शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा मे संचालित कृषि संकाय में सत्र 2022–23 से प्रथम वर्ष में प्रवेश बन्द किया जावे।
2. शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरूं राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में कृषि संकाय के विद्यार्थियों हेतु सत्र 2022–23 में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष, सत्र 2023–24 में तृतीय व चतुर्थ वर्ष एवं 2024–25 में चतुर्थ वर्ष का संचालन ही किया जावे।
3. उक्तानुसार शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में कृषि संकाय को चरणबद्ध रूप से बन्द किया जावे।
4. द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष का संचालन शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में किये जाने तक कृषि संकाय के स्वीकृत सहायक आचार्य के पद पर पदस्थापित संकाय सदस्यो द्वारा ही द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष का अध्यापन कार्य सम्पादित करवाया जायेगा।
5. उक्त दोनो राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कृषि संकाय के सहायक आचार्यो को चरणबद्ध रूप से अन्य राजकीय महाविद्यालयों (राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, राजकीय महाविद्यालय उनियारा व राजकीय महाविद्यालय सपोटरा) के कृषि संकाय में पदस्थापित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि आई.सी.ए.आर के नार्म्स पूरा करने व एक्रीडीटेशन प्राप्त करना सुलभ हो सके।

उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(बृजमोहन नागिया)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांकः एफ 4 ( ) आयो/आकाशि/विविध/2022 पार्ट/334-43 दिनांक 24 अगस्त, 2022

विषय :– शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर व श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में संचालित कृषि संकाय की वस्तुस्थिति के दृष्टिगत एवं प्रकरण को विशेष परिस्थिति मानते हुये स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :– शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा की स्वीकृति दिनांक 24.08.2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का श्रम करें।
6. समन्वयक, जेट, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, एचआरडी, अकादमिक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का श्रम करें।
10. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

24.08.2022
(डॉ. विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)